

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क्र. :- 242 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 12 / 05 / 15)

म.प्र.राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।
जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. जितेन्द्र सिंह राणा पुत्र जवाहर सिंह राणा, उम्र 40 वर्ष।
निवासी :- ग्राम राई, थाना :- बिजौली, जिला-ग्वालियर, म.प्र.।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 18 / 08 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी जितेन्द्र पर धारा :- 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 12 / 04 / 2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे रामप्रसाद गुर्जर के ढावे के सामने थाना मालनपुर हाईवे लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07 / एच.बी. / 3367 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मारुति 800 कार क्रमांक एम.पी.30 / सी / 0257 में टक्कर मारकर आहत किरन भदौरिया को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति एवं आहतगण सीता एवं सोनू को उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 12 / 04 / 2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे रामप्रसाद गुर्जर के ढावे के सामने थाना मालनपुर हाईवे लोकमार्ग पर, वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07 / एच.बी. / 3367 के चालक द्वारा फरियादी राधेश्याम की मारुति 800 कार क्रमांक एम.पी.30 / सी / 0257 में टक्कर मारकर मारकर उसमें सवार किरन भदौरिया, सीता एवं सोनू को उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी राधेश्याम द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07 / एच.बी. / 3367 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 46 / 2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत किरन के एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने से आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपी जितेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी जितेन्द्र द्वारा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07 / एच.बी. / 3367 मय दस्तावेज की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करने पर जब्त

कर जल्दी पंचनामा बनाया गया। जल्दशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जल्दशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी राजेन्द्र सिंह का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी राधेश्याम, आहत सीता एवं सोनू, साक्षीगण कमल सिंह एवं वंदना के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :—

01. क्या आरोपी जितेन्द्र सिंह ने दिनांक :— 12/04/2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे रामप्रसाद गुर्जर के ढावे के सामने थाना मालनपुर हाईवे लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3367 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मारुति 800 कार क्रमांक एम.पी.30/सी/0257 में टक्कर मारकर आहत किरन भदौरिया को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति एवं आहतगण सीता एवं सोनू को उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :— 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी राधेश्याम शर्मा अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी जितेन्द्र को नहीं जानता और सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 12/04/2015 को करीबन साढ़े चार—पौने पाँच बजे की सुबह की घटना है। वह सोनू, किरण, सीता एवं वंदना के साथ ग्वालियर से माधौगढ़ फेरा करने के लिए जा रहे थे। वह अपनी गाड़ी मारुति 800 से जा रहा था, जिसका नम्बर 0257 है। उसकी गाड़ी को वह स्वयं चला रहा था। साक्षी आगे कहता है कि मालनपुर निकलकर ढावे

के पास भिण्ड की तरफ मुँह करके डम्पर क्रमांक एम.पी.07/3367 बंद खड़ा था, तब सामने से एक एल.पी. गाड़ी आ रही थी, जिसकी लाईट आंख पर पड़ी तो एकदम से नहीं दिखाई दिया और उसकी गाड़ी डम्पर में घुस गई, जिससे किरन, सोनू एवं सीता को चोटें आई थी। फिर उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी, रिपोर्ट प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके साथ आकर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.09 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

09. फरियादी राधेश्याम अ.सा.06 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि कथित रूप से दुर्घटनाकारित करने वाले डम्पर का क्रमांक एम.पी.07/3367 था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर एम.पी.07/जी.ए./3367 होना बताया है। जबकि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन डम्पर का क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3367 लेखबद्ध कराया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी राधेश्याम अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का जो नम्बर बताया है, वह गलत बताया है। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के नम्बर के संबंध में फरियादी राधेश्याम अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. फरियादी राधेश्याम अ.सा.06 द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि मालनपुर के पास ढावे के पास भिण्ड की तरफ मुँह करके डम्पर क्रमांक एम.पी.07/3367 बंद खड़ा था, तभी सामने से एक एल.पी.गाड़ी आ रही थी, जिसकी लाईट आंख पर पड़ी तो एकदम से दिखाई नहीं दिया और हमारी गाड़ी उक्त डम्पर में घुस गई। फरियादी राधेश्याम अ.सा.06 द्वारा दर्शित उक्त तथ्य से कथित रूप से दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3367 या एम.पी.07/जी.ए./3367 के वाहन चालक की उक्त दुर्घटना में कोई उपेक्षा या उतावलापन ना होना दर्शित होता है, बल्कि सामने से आ रहे वाहन की तीव्र रोशनी में अचानक दिखाई ना देने के कारण फरियादी राधेश्याम का किसी खड़े हुये वाहन से टकरा जाना दर्शित होता है।

11. उल्लेखनीय है कि राधेश्याम अ.सा.06 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि जिस खड़े हुये डम्पर में उसकी गाड़ी टकराई थी, उसमें दुर्घटना के समय आरोपी जितेन्द्र सिंह या कोई अन्य चालक मौजूद था। ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि फरियादी राधेश्याम अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित दुर्घटना कारित करने में वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3367 के चालक की उपेक्षा या उतावलापन दर्शित करते हो या उक्त दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र की पहचान प्रदर्शित करते हो।

10. आहतगण/साक्षीगण सोनू तोमर अ.सा.01, सीता अ.सा.02, किरण अ.सा.03 एवं वंदना भदौरिया अ.सा.04 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी जितेन्द्र द्वारा दिनांक :- 12/04/2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे रामप्रसाद गुर्जर के ढावे के सामने थाना मालनपुर हाईवे लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर

क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3367 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मारुति 800 कार क्रमांक एम.पी.30/सी/0257 में टक्कर मारकर आहत किरन भदौरिया को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति एवं आहतगण सीता एवं सोनू को उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी जितेन्द्र सिंह ने दिनांक :- 12/04/2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे रामप्रसाद गुर्जर के ढावे के सामने थाना मालनपुर हाईवे लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3367 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मारुति 800 कार क्रमांक एम.पी.30/सी/0257 में टक्कर मारकर आहत किरन भदौरिया को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति एवं आहतगण सीता एवं सोनू को उपहति कारित की।

10. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी जितेन्द्र सिंह ने दिनांक :- 12/04/2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे रामप्रसाद गुर्जर के ढावे के सामने थाना मालनपुर हाईवे लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3367 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मारुति 800 कार क्रमांक एम.पी.30/सी/0257 में टक्कर मारकर आहत किरन भदौरिया को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति एवं आहतगण सीता एवं सोनू को उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी जितेन्द्र के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी जितेन्द्र को धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

10. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

10. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3367 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी राजेन्द्र सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

